(a) what amount has been spent on the **purchase** of books by the Bureau for promo**tion** of Urdu, New Delhi under the M.I.L. **Scheme** during the year 1993-94; and

(b) what are the language-wise details of the books purchased ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) (a) and (b) The amount spent on purchase of Urdu books by the Bureau for Promotion of Urdu and books in other modern Indian languages purchased by the Ministry under the scheme of Financial Assistance to Voluntary Organisations for Publication is given in the statement annexed.

Statement

The amount spent for purchase of books under the Scheme of Financial Assistance to Voluntary Organisations for Publication are as under :—

Sl. No.	Language	Amount spent during 1993-94 in Rupees
1	Assamese	111
2	Bengali	58,226
3	English	4,16,635
4	Gujarati	1,36,868
5	Kannada	1,32,663
6	Kashmiri	400
7	Malayalam	40,942
8	Manipuri	39,220
9	Oriya	200
10	Punjabi	2,77,974
11	Tamil	2,15,661
12	Telugu	1,46,180
13	Urdu*	4,00,179

*By Bureau for Promotion of Urdu.

राष्ट्रीय महिला आयोग

1565. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उनका कार्यकाल कब तक है, और

(ख) अब तक उक्त आयोग ने कौन-कौन से मुख्य कार्य किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) ... (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) निम्नलिखित को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था :—

क्रम संख्या	नाम	कार्यकाल
1	सुश्री जयन्ती पटनायक, अध्यक्षा	31 जनवरी, 1992 से तीन वर्ष
2	सुश्री पद्मा सेठ, सदस्या	31 जनवरी, 1992 से तीन वर्ष
3	सुश्री सुभाषिनी अली, सदस्या	31 जनवरी, 1992 से तीन वर्ष
4	सुश्री बोनोज सेनापति, सदस्या	31 जनवरी, 1992 से तीन वर्ष
5	सुश्री मोनिका दास, सदस्या	31 जनवरी, 1992 से तीन वर्ष
6	सुश्री गंगा पोतई, सदस्या	22 नवम्बर, 1994 से तीन वर्ष

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों की संवीक्षा :

आयोग ने (1) कानूनों की जांच करने, (2) न्याय प्रदान पद्धति के सम्बन्ध में (3) श्रम और बीमा कानूनों के संबंध में तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। आयोग ने दहेज निषेध अधिनियम 1961, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1954 तथा बीमा अधिनियम की समीक्षा की तथा इनमें संशोधन के लिए सुझाव दिए। आयोग को प्राप्त विभिन्न विधायी प्रस्तावों की भी आयोग ने जांच की और उनके संबंध में अपनी टिप्पणियां भी प्रस्तुत कीं।

2. महिलाओं के लिए अभिरक्षा न्याय :

आयोग के सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों में स्थित कई जेलों का दौरा किया, ताकि कैदी महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सभी राज्यों को एक प्रश्नावली भी जारी की गई। एक विशेषज्ञ समिति ने महिला कैदियों की गिरफ्तारी, दोष-सिद्धि, अभिरक्षा तथा पुनर्वास से संबंधित मुद्दों की जांच की और कई सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया।

3. शिकायतें :

आयोग को दहेज, दहेज-मृत्यु, बलात्कार, सार्वजनिक रूप से निःवस्त्र करने, कार्य-स्थलों पर यौन-शोषण आदि के सम्बन्ध में पीड़ित महिलाओं से 500 से भी अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को लिखा गया। कुछ चुनिन्दा मामलों में, घटना स्थल पर तत्काल जांच-पड़ताल भी की गई।

4. राज्यों का दौरा :

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए आयोग के सदस्यों ने अनेक राज्यों का दौरा किया तथा इस मामले पर मुख्यमंत्रियों, संबंधित मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान, उन्होंने विभिन्न महिला संगठनों से भी विचार-विमर्श किया।

5. 1955 में बीजिंग सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय प्रलेख तैयार करना :

सितम्बर 1995 में बीजिंग में होने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय प्रलेख का प्रारूप तैयार करने में आयोग ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

6. संचेतना प्रयास :

महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों में विचार-विमर्श में भाग लेने के अतिरिक्त, आयोग ने कई संगोष्ठियां/कार्यशालाएं प्रायोजित/आयोजित कीं। इनमें पंचायती राज में महिलाएं, बालात्संग, आर्थिक सुधार और महिलाएं, महिला कैदियों के लिए अभिरक्षा न्याय, जनजातिय महिलाओं की स्थिति, आदि विषय शामिल थे। इनके अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं के विकास से संबंधित विषयों पर कुछ अनुसंधान एवं अध्ययन कार्यक्रम भी प्रायोजित किए।

7. जनजातीय महिलाओं की स्थिति :

जनजातिय महिलाओं की स्थिति पर विशेषज्ञ समिति के परामर्श से, आयोग ने जनजातीय समुदायों में महिला के विकास के संबंध में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया।

Sex Education in Schools

1566. SHRI GOVINDRAO ADIK : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to incorporate Sex education in the Curriculum of schools;